भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.**5243**

दिनांक 24 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

डिजिटल व्यापार

5243**. सुश्री सयानी घोष:**

श्री एम. के. राघवन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में डिजिटल व्यापार, सीमा पार डेटा प्रवाह, ई-कॉमर्स, क्लाउड सेवाएं या डिजिटल सेवाओं के विनियमन से संबंधित प्रावधानों को शामिल करते हुए भारत-अमेरिका के बीच के किन्हीं व्यापार वार्ताओं या समझौतों पर चर्चा चल रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे डिजिटल व्यापार प्रावधानों के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले विशिष्ट क्षेत्र क्या हैं और वार्ताओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या डेटा स्थानीकरण, डेटा संरक्षण, डिजिटल कराधान, प्रतिस्पर्धा विनियमन या स्रोत-कोड प्रकटीकरण संबंधी भारत की विद्यमान या प्रस्तावित नीतियों को प्रभावित करने वाली कोई प्रतिबद्धताएं विचाराधीन हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे डिजिटल व्यापार प्रावधानों से लाभान्वित होने वाले घरेलू स्टार्टअप, एमएसएमई, भारतीय आईटी फर्म, उपभोक्ताओं और विदेशी प्रौद्योगिकी कंपनियों आदि के संबंध में कोई प्रभाव आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा संप्रभुता, विनियामक स्वायत्तता और घरेलू डिजिटल नवाचार के संबंध में ऐसे प्रावधानों के प्रभावों की जांच की है;

(च) क्या सरकार द्वारा भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के भारत में रोजगार सृजन पर संभावित प्रभाव के संबंध में 74 कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में विचाराधीन प्रस्तावित टैरिफ कटौती या समाप्ति का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ज) क्या डिजिटल व्यापार, डेटा स्थानीकरण, ई-कॉमर्स विनियमन और बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित मुद्दे वार्ता का हिस्सा हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ज)

(i) भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.) ने दिनांक 2 फरवरी, 2026 को एक व्यापार समझौते की घोषणा की। इसके लिए एक संयुक्त वक्तव्य दिनांक 7 फरवरी, 2026 को जारी किया गया। दिनांक 7 फरवरी, 2026 को, भारत द्वारा रूसी तेल के आयात का हवाला देते हुए, अमेरिका द्वारा भारत के कुछ निर्यातों पर लगाए गए 25% अतिरिक्त मूल्य-आधारित शुल्क हटा दिए गए।

अंतरिम समझौते के पूरा होने पर भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत भेदभावपूर्ण या बोझिल प्रथाओं और डिजिटल व्यापार में अन्य बाधाओं को दूर करने और मजबूत, महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी डिजिटल व्यापार नियमों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग निर्धारित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह भारत की डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करेगा, क्योंकि यह डेटा सेन्टर और डिजिटल इंडिया की पहल के लिए जरूरी उन्नत सेमीकंडक्टर चिप्स, सर्वर घटकों और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों तक पहुँच सुनिश्चित करेगा, जिससे स्केलेबल ओर हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग संभव हो पाएगी। इसके अतिरिक्त, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बाजार पहुंच बढ़ाकर और व्यापार पूरकता का लाभ उठाकर द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने के उद्देश्य से भागीदार देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत की जाती है। इस तरह के समझौतों का उद्देश्य निर्यात अवसरों को बढ़ाना घरेलू स्टार्टअप, एमएसएमई, भारतीय आईटी फर्मों, उपभोक्ताओं और विदेशी प्रौद्योगिकी कंपनियों सहित उद्योगों को लाभ पहुँचाना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।

अंतरिम समझौते के फ्रेमवर्क की शर्तों के अनुसार, अमेरिका भारतीय वस्तुओं जिनमें वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर, जैविक रसायन, गृह सज्जा की वस्तुओं, हस्तशिल्प उत्पाद, कुछ मशीनरी आदि शामिल हैं, को अधिमान्य बाजार पहुंच प्रदान करेगा। अंतरिम समझौते के पूरा होने पर, अमेरिका रत्न और हीरे, विमान के पुर्जे, सामान्य दवाएं, कुछ मशीनरी और पुर्जे, वनस्पति रस, कुछ उपकरण और यंत्र, कुछ प्लास्टिक और रबर, कुछ ऑटो पुर्जे आदि जैसे उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर भारत पर अतिरिक्त शुल्क को घटाकर 0% कर देगा।

अंतरिम समझौते के फ्रेमवर्क की शर्तों के अनुसार, भारत को उन उत्पादों पर रियायतें प्राप्त होंगी जिन पर धारा 232 की जांच के तहत शुल्क लगाया गया है:

क. अमेरिका, इस्पात, एल्युमीनियम और तांबे तथा उनके व्युत्पन्न पदार्थों पर धारा 232 की घोषणा के तहत भारत के कुछ विमानों और विमान पुर्जों पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ को हटा देगा।

ख. अमेरिका, धारा 232 की घोषणा के तहत लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ का सामना कर रहे भारतीय ऑटोमोटिव पुर्जों के लिए, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप, अधिमान्य शुल्क दर कोटा प्रदान करेगा।

ग. अमेरिका, फार्मास्यूटिकल्स और फार्मास्युटिकल उत्पादों की धारा 232 जांच के निष्कर्षों के अधीन भारत से जेनेरिक दवाओं और फार्मास्युटिकल सामग्रियों के संबंध में भी वार्ता के माध्यम से समाधान प्रदान करेगा।

अंतरिम समझौते के फ्रेमवर्क की शर्तों के अनुसार, कुछ खनिजों, हाइड्रोकार्बन, कागज से बनी कुछ वस्तुओं, चाय और कॉफी, मसालों, बेकरी उत्पादों, कुछ फलों, कुछ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसी वस्तुओं पर 0% टैरिफ लगने की उम्मीद है, बशर्ते कि कुछ वस्तुओं के लिए अमेरिका नीति के तहत छूट दी जाए।

यह समझौता भारतीय किसानों और मछुआरों को समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, मसाले, चाय और कॉफी, तिलहन और कुछ फलों जैसे अपने मजबूत क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के अवसर प्रदान करेगा। साथ ही, यह कृषि वानिकी से जुड़े उत्पादों जैसे वनस्पति रस, मोम, मेवे, प्लेटिंग सामग्री, नारियल, खसखस, सब्जियां और कुछ जड़ वाली सब्जियां, और साथ ही फलों के रस, गूदा और जैम जैसे प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए एक बड़े बाजार तक अधिमान्य पहुंच प्रदान करेगा।

अंतरिम व्यापार समझौते के संबंध में अधिक जानकारी निम्न वेबलिंक: https://www.commerce.gov.in/wp-content/uploads/2026/03/FTAs-achievement.pdf पर भी उपलब्ध है

(ii) दिनांक 20 फरवरी, 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारस्परिक टैरिफ को अमान्य घोषित करने के फैसले के बाद, पारस्परिक टैरिफ अब लागू नहीं हैं। अमेरिकी सरकार ने सभी देशों से कुछ उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाने के कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। सरकार इसके बाद के सभी घटनाक्रमों के प्रभावों का अध्ययन कर रही है और अमेरिकी सरकार के साथ निंरतर संपर्क में है।